बिहार विधान सभा वादवृत्त ।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य-विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में बुधवार, तिथि २५ अप्रील १९५६ को ११ बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ ।

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर ।

SHORT NOTICE QUESTIONS AND ANSWERS.

नदी किनारे का पक्का बांध ।

४५६ । श्री शिव भजन सिंह—क्या मंत्री, सिंचाई विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि जहानाबाद शहर के वार्ड नं० १, वार्ड नं० ४ तथा ५ के नदी के किनारे का मकान दरधा तथा यमुना नदी की धारा से कटता जा रहा है और बहुत से मकान कट कर नदी के गर्भ में चले गये हैं;

(२) क्या यह बात सही है कि नदी के कटाव के कारण वार्ड नं० ४ से होकर शहर से पूरब की ओर स्थानीय गांधी स्मारक उच्च विद्यालय तक जो सड़क गयी थी, नदी के अन्दर चली गयी है;

(३) क्या यह बात सही है कि जहानाबाद के मलहचक मुहल्ले के अन्तर्गत नदी के किनारे अवस्थित पुराने मन्दिर का कुछ भाग नदी के गर्भ में चला गया है;

(४) क्या यह बात सही है कि यदि नदी के किनारे को शीघ्र पक्का नहीं बनाया गया तो बहुत से मकान तथा रास्ते नदी में चले जायंगे;

(५) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं; तो सरकार नदी के किनारे जो धारा से कटता जा रहा है, उसे पक्का एमबैंकमेंट बनाने का विचार करती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामचरित्र सिंह—(१) दरधा नदी जो जहानाबाद के वार्ड नं० १, ४, और ५ के चारों ओर होकर बहती है अपने किनारों को बाढ़ के समय धीरे-धीरे काटती जा रही है । नदी की इस क्रिया से ५० साल के अन्दर कुछ छोटे-छोटे मकान जो नदी के बिलकुल किनारे अवस्थित थे, दह गये हैं ।

(२) उक्त कच्ची सड़क का कुछ भाग दरधा तथा यमुना नदी की लगातार बाढ़ से धीरे-धीरे करीब आधी शताब्दी में दह गया है ।

(३) यह मन्दिर दरधा नदी के बिलकुल किनारे पर अवस्थित है और नदी का कटाव मन्दिर के चबुतरे तक पहुँच रहा है ।

(४) उत्तर हां है ।

(५) अभी तक हुई जांच-पड़ताल से पता चलता है कि रक्षात्मक बांध उतना उपयोगी सिद्ध नहीं होगा जितना कि इसमें खर्च लगेगा । फिर भी जांच-पड़ताल का कार्य चालू है और यदि निधि पूर्ण रह सकी तथा योजना प्राद्योगिक दृष्टिकोण से का न्वित करने योग्य सिद्ध हुई, तो सरकार ईस काम को करवाने का विचार करेगी ।

अध्यक्ष—कहीं-कहीं माननीय सदस्य कुछ नहीं कहते।

श्री दीप नारायण सिंह—कहीं-कहीं ऐसा भी होता है।

श्री दारोगा प्रसाद राय—खाद वितरण के लिए सरकार ने क्या क्राइटेरियन रखा है?

श्री दीप नारायण सिंह—जहां-जहां २५० से ३०० टन तक की बिक्री की संभावना है वहां कोआपरेटिव बैंक द्वारा डिपो खोले जाते हैं और जहां इससे कम बिक्री की संभावना है वहां एजेन्ट बहाल किए जाते हैं।

श्री दारोगा प्रसाद राय—सरकार किस तरह जानती है कि अमुक स्थान में २५० टन से कम की बिक्री होगी और अमुक स्थान में ज्यादे?

श्री दीप नारायण सिंह—जिस इलाके के संबंध में यह प्रश्न है वहां से तो कोई मांग नहीं आई है।

श्री दारोगा प्रसाद राय—क्या सरकार अपने इनीशिएटिव से डिपो खोलती है या लोगों के कहने पर?

अध्यक्ष—इसका उत्तर दे दिया गया है कि दोनों तरीके काम में लाए जाते हैं।

श्री दारोगा प्रसाद राय—क्या उन इलाकों में डिपो खोलने के औचित्य पर सरकार विचार करेगी?

श्री दीप नारायण सिंह—जी हां, सरकार विचार करेगी।

DELAY IN PROJECT CONSTRUCTION.

*2201. **Shri YOGESHWAR GHOSH** : Will the Minister in charge of the Irrigation Department be pleased to refer to the answers to starred questions nos. 706 and 708 of the Seventh Session and to state—

(1) whether it is a fact that the investigation regarding the Munahara river, P.-S. Laukaha, district Darbhanga is complete and the designs are being finalised;

(2) whether it is a fact that the tenders for the different categories of works have been called for by the Executive Engineer, Darbhanga;

(3) if so, the reasons for delay in starting the project construction ?

श्री रामचरित्र सिंह—(१) उत्तर हां है ; लौकाहा थाना अंतर्गत मुनहारा-बलान नदी योजना की जांच-पड़ताल खत्म हो रही है और एस्टीमेट तैयार हो रहा है।

(२) उत्तर ना है।

(३) योजना की स्वीकृति जब तक नहीं हो जाती तबतक योजना कार्यान्वित नहीं की जा सकती।

श्री योगेश्वर घोष—टेंडर मांगा गया था या नहीं?

श्री रामचरित्र सिंह—उत्तर ना है। खंड (२) का जवाब दे दिया गया है।

श्री योगेश्वर घोष—१९५६ साल के अंदर स्वीकृति मिल सकती है या नहीं?

श्री रामचरित्र सिंह—यह मैं नहीं कह सकता कि १९५६ में होगा या कब होगा, मगर गवर्नमेंट की खाहिश यही है कि जहांतक हो सके जल्द ही इस योजना को कार्यान्वित किया जाय।

श्री जमुना लाल के विरुद्ध अभियोग।

*२२०३। श्री राधा मोहन राय—क्या मंत्री, सिंचाई विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि शाहाबाद जिला के जगदीशपुर थानान्तर्गत ग्राम बसवना के किसानों ने श्री जमुना लाल अमीन, रामनगर सबडिवीजन के खिलाफ नाजायज ढंग से रुपया लेने का अभियोग लगाया है जिसकी खबर आवेदन-पत्र द्वारा एक्जिक्यूटिव इंजीनियर, आरा तथा एन्टिकरप्सन कमिटी को भी दी गयी है ;

(२) यदि उपरोक्त खंड (१) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ने अभी तक श्री जमुना लाल जी के खिलाफ कौन-सी कार्रवाई की अथवा करने जा रही है?

श्री रामचरित्र सिंह—(१) श्री जमुना लाल नाम का कोइ व्यक्ति अमीन के पद पर राम नगर सबडिवीजन में काम नहीं करते हैं। अखौरी जमुना प्रसाद नाम के एक व्यक्ति रामनगर सबडिवीजन में अमीन के पद पर काम करते हैं परंतु उनके खिलाफ नाजायज ढंग से रुपया लने के अभियोग का आवेदन-पत्र नहीं मिला है।

(२) खंड (१) के उत्तर के अनुसार प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री राधा मोहन राय—सरकार का जवाब है कि कोई आवेदन-पत्र उनके खिलाफ नहीं आया है, तो क्या यह बात सही है कि उस गांव के लोगों को एस० डी० ओ० ने नोटिस दी है कि २४ अप्रील को रामनगर बंगले पर आवें जहां इंक्वायरी होगी?

श्री रामचरित्र सिंह—जमुना प्रसाद नाम के खिलाफ अगर दरखास्त दी गई है तो वह हमारे यहां नहीं आई है। इंक्वायरी से जो नाम पता लगा उसपर जवाब हम दे रहे हैं।